


4716/21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
रजिस्ट्रार
70 FEB 2021
कोशागार, आगरा

AG 55395



किस्म दस्तावेज	—	पट्टानामा
किराया	—	12,000 /—रुपया सालाना
म्याद	—	29 साल 6 माह
स्टाम्प	—	3,000 /—रुपया

हम कि श्रीमती भूदेवी महिला एवं बाल विकास शिक्षण संस्थान स्थित ग्राम दहतोरा तहसील व जिला आगरा द्वारा प्रबन्धक देववृत्त शर्मा पुत्र स्व. डा. के.सी. शर्मा निवासी 18, सौरभनिकुंज, दयालबाग, तहसील व जिला आगरा ——— प्रथम पक्ष/सम्पत्ति मालिक।

मो.— 9412257846

पेन— AAATB1050H

एवं



6

14-06-2021

पत्र संख्या 22


का-5 का निवेदन सातवां चक्र के लिए

सूचना का प्रकाशन-द्वारा

S/O 500 का के. सा. 2018-19

सार 1 महीने 2018-19

100 रु





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 553953



2

बी. डी. कान्वेंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल द्वारा प्रबन्धक देववृत्त शर्मा पुत्र स्व. डा. के.सी. शर्मा निवासी 18, सौरभनिकुंज, दयालबाग, तहसील व जिला आगरा ————— द्वितीय पक्ष/पट्टा ग्रहिता।

मो.— 9412257846

पेन— AOGPS2775A


जो कि एक किता सम्पत्ति व तादाद 11201 वर्ग मीटर जिसमें दो मंजिला इमारत तामीर है बाकै मौजा दहतौरा तहसील व जिला आगरा जिसकी सीमाएं निम्न हैं—

पूरव— निकास व रास्ता

पश्चिम— जमीन दीगर

उत्तर— निकास व रास्ता

दक्षिण— सम्पत्ति दीगर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 553954

3

विदित हो कि प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति का मालिक व स्वामी चला आता है तथा जिसमें कोई दीगर हकदार व हिस्सेदार किसी भी प्रकार का नहीं है कि जो माने इन्तकाल बगैरा का होवे और जो आज तक तक हर प्रकार के कर्जे, वार, भार, दान, जमानत आदि से पाक व साफ है। जिसे प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को 29 साल 6 माह के लिए पट्टे पर देने को सहर्ष तैयार हैं।

लिहाजा प्रथम पक्ष खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये व बिला दवाव किसी नाजायज के व स्वस्थ चित्त मन बुद्धि व इन्द्रियों के उपरोक्त सम्पत्ति की बाबत यह पट्टानामा लिखते हैं व तहरीर करते हैं—

20 FEB 2021


कोषागार, आगरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 581207

4



- 1- यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति को मुवलिग 12,000/- रूपया सालाना की दर से 29 साल 6 माह के लिए पट्टे पर लिया है।
- 2- यह कि यह पट्टानामा दिनांक 14-06-2021 से आरम्भ होकर दिनांक 14-12-2049 तक जारी रहेगा।
- 3- यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का किराया द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को साल दर साल अदा किया करेगा।
- 4- यह कि उपरोक्त सम्पत्ति के बिजली व पानी के बिल को द्वितीय पक्ष अलग से स्वयं वहन करेगा जिसका किराए से कोई सरोकार किसी भी प्रकार का नहीं होगा।
- 5- यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त सम्पत्ति शैक्षणिक संस्थान हेतु दी जा रही है उसमें अन्य कोई कार्य नहीं करेगा।
- 6- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति में कोई भी शिकमी पट्टेदार आबाद नहीं करेगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 581208

5



7- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति में कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा।


8- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति में अपनी आवश्यकतानुसार तोड़-फोड़ या रब्दो बदल या नवनिर्माण आदि करा सकेगा।

9- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को जब भी खाली करेगा उसका कब्जा भली प्रकार से प्रथम पक्ष को ही सौंपेगा।

10- यह कि प्रथमपक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष से 29 साल 6 माह से पूर्व खाली नहीं करा सकेगा।

11- यह कि 29 साल 6 माह बाद यह पट्टानामा स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

यह कि इस दस्तावेज हाजा की पाबन्दी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व कायम मुकामान उनके पर लाजिमी है व आयंदा होगी।






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 581209

6



लिहाजा यह पट्टानामा म्याद 29 साल 6 माह के लिए लिख दिया जो सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 14-06-2021ई. व मसौदा रामकुमार सारस्वत, एडवोकेट सदर तहसील आगरा। फोटों की शिनाख्त गवाहों ने की है।







गवाह—रामबाबू पुत्र स्व. शोभाराम
नि. ग्राम मिढाकुर, आगरा। मो. — 9411838735

गवाह—एवरन सिंह पुत्र श्री जगन सिंह
नि. राम नगर, शाहगंज, आगरा।

